न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः— चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं0 42/2020 प्रार्थना पत्र

1. श्री गोपाललाल पिता डालचंद जाति जाट निवासी शाहबाद तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

— प्रार्थीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा।

— विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0 एक्ट</u>

प्रार्थीगण की और से:— अधिवक्ता श्री अनुराग ओझा उपस्थित

<u>आदेश</u>

दिनांकः—31.05.2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 ले0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का आराजीयात मौजा शाहबाद पटवार हल्का बडोली घाटा की खाता संख्या 64 आराजी नं. 13 रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात में सिचाई के साधन स्थापित कर रखे हैं, उसी में आराजीयात को सिंचित कर रहा हैं । उक्त आराजीयात के पुराने आराजी स 239/5 था, उक्त आराजी नम्बर पुराने आराजी न 14 व 19 की मेड की सीध में दक्षिण की ओर रास्ते के बाद थोडी दूर पर था । पुराने राजस्व नक्शे में भी उसी जगह पैमूद किया गया था । प्रार्थीगण को हाल ही में नया भू प्रबंध लागू किया गया हैं, जिसके अन्तर्गत प्रार्थी की नई आराजी नम्बर 13 को भू प्रबंध अधिकारियों ने गलती से राजस्व नक्शे में गलत तरीके से पैमूद कर दिया । प्रार्थी की आराजीयात जहां पूर्व में आराजी नम्बर 14 व 19 की मेड के पश्चित की तरफ रास्ते के बाद थोडी दूरी पर स्थित थी, को नये नक्शे में गलत तरीके से पैमूद कर आराजी नम्बर 204/4 जिसका नवीन आराजी नम्बर 11 हैं, के पूर्वी तरफ गलत तरीके से पैमूद कर दी उक्त गलती का इस आवेदन पत्र के माध्यम से दूरस्त कराने की का अधिकारी हैं ।

उक्त त्रुटि हेतु प्रार्थी द्वारा कई मर्तबा विपक्षी से कई बार मौखिक निवेदन किया गया परन्तु हर वार विपक्षी अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए उक्त त्रुटि को शीघ्र ही दुरस्त करने का आश्वासन मात्र करता रहा परन्तु आज तक उक्त त्रुटि को दुरस्त नही किया जिस कारण मजवूर होकर यह आवेदन पत्र इन्द्राज दुरूस्ती हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड रहा हैं । इसलिए राजस्व नक्शा ट्रेस में जो सहवन से त्रुटि हो गई है उसको वास्तविक मौका स्थिति अनुसार सही दक्षिणा दिशा की ओर अंकित किया जाना न्यायोचित है। पुराने नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति पुरानी जमावन्दीयों की नकले प्रार्थना पत्र के साथ में पेश है। अतः प्रार्थी के मौके पर दक्षिणी दिशा की ओर कब्जा स्थित अनुसार ही सही एवं वास्तविक

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चि...गढ़)

रेकार्ड में दर्ज फरमाये जाने का आदेश तहसीलदार निम्बाहेडा एवं पटवारी को प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी रेकार्ड मौका मिलान करने पर प्रार्थी वादी लीज भूमि मौके पर गत भूप्रबंध अनुसार सही प्रतीत होती हैं किन्तु नवीन नक्शें में गत आ0न0 239/5 को नवीन आ0न0 13 बने हैं, को गलत जगह आ0न0 11 के पूर्वी दिशा में तरमीम किया गया हैं । इसलिए मौके पर काबिज अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में शुद्धि किया जाना प्रस्तावित सही पाया जाता है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मौके पर काबिज अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में शुद्धि किया जाना प्रस्तावित किया है। प्रार्थी ने प्रकरण में सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नही बनाया गया है तथा खातेदारी पिता के नाम है किन्तु आवेदन पुत्र के द्वारा किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जा सकता हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 31.05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)